झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) ग्रा०– 10 / 2005 .... / राँची, दिनांक : ....

आदेश

उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक– 935 (ii) दिनांक– 15.07.2016 द्वारा श्री राजेन्द्र साहू (ID - J8086), तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सिमडेगा के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित निम्नलिखित आरोप अनुशासनिक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया गया –

"सिमडेगा जिला के बानो प्रखण्ड में पदस्थापित कनीय अभियंता, श्री राजेन्द्र साहू, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सिमडेगा के द्वारा खाद्यान्न का कालाबाजारी।"

2. उक्त आरोप की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक– 4585 दिनांक– 24.12.2010 द्वारा श्री राजेन्द्र साहू के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–1930 के नियम– 55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

3. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक– 13 दिनांक– 24.01.2014 के द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में श्री साहू के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।

4. जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। सम्यक् समीक्षोपरान्त जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रतिवेदित आरोप के लिए श्री राजेन्द्र साहू, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सिमडेगा को एदत् द्वारा दोषमुक्त किया जाता है एवं श्री साहू के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया जाता है।

5. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : ....राँची / दिनांक ....

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, सिमडेगा / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लोहरदगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : ......6663......................................राँची / दिनांक ...26/11/19

प्रतिलिपि :– श्री राजेन्द्र साहू, कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सिमडेगा / वेब इनफोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25-11-19
(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव